पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल द्वारा आगरा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी

लखनऊ: 11 मई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, श्री राम नाईक ने डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की परिनियमावली में आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय के समावेश हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राज्यपाल ने डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 7.01(ओ) के अंतर्गत आयुर्वेद संकाय तथा परिनियम 7.01(पी) के अंतर्गत यूनानी संकाय प्रख्यापित करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे अब विश्वविद्यालयों में संबंधित संकायों का गठन विधिवत हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में समस्त उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा प्रदान की जा रही थी किन्तु वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों को उस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है, जिस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में वे स्थित हैं। इसी क्रम में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के संबंधित परिनियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के गठन की मंजूरी प्रदान की गयी है।